



**जनपद**

**गाजियाबाद**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 13-01-21**

**44 पच्चे अवैध शराब सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति रोकथाम जुर्म जरायम चैकिंग अवैध मादक पदार्थ की बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0ईरज राजा महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 श्री राजकुमार, का0 1667 बिजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 12.01.2021 को समय 18.50 बजे डी.जी.आर.स्कूल चौराहा ग्राम पतला के पास से अभियुक्त चेतन पुत्र ठाकुरदास निवासी ग्राम कुन्हेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पच्चे क्रेजी रोमियो विस्की अरूणाचल प्रदेश के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 04/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**अपराध करने का तरीका:-**

अभियुक्त द्वारा अवैध शराब कम कीमत पर लाकर अधिक दाम में बेचकर धन अर्जित करना।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1 चेतन पुत्र ठाकुरदास निवासी ग्राम कुन्हेडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण:-**

1-एक प्लास्टिक के कट्टे में 44 पच्चे क्रेजी रोमियो विस्की अरूणाचल प्रदेश मार्का।

**अपराधिक इतिहास का विवरण:-**

1-मु0अ0सं0-04/2021 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम थाना निवाडी गाजियाबाद



**थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा तीन चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक एल0ई0डी0 टीवी व चोरी की एक बैटरी बरामद।**

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 12.01.2021 को समय करीब 21.55 बजे नगर निगम कार्यालय के पास लोनी रोड से तीन अभियुक्त 01- विजय पुत्र बेनीराम नि0 कादर चौ शिवय नगर थाना कादर चौक जनपद बदायूँ 02- विशाल पुत्र राजेश नि0 गांव बागू थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत हाल नि0 मोनू ब्लाक ए राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, 03- नोनू उर्फ चीनी पुत्र संजय नि0 ब्लाक ए राजीव कोलोनी मोहननगर मस्जिद के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को एक एल0ई0डी0 टीवी सम्बन्धित मु0अ0सं0 52/21 धारा 380,411 भादवि व बैटरी

ल्यूमिनस सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/21 धारा 380,411 भादवि की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 13.12.20 को साइट-2 दि साईस्टिफिक इस्ट्रूमेन्ट मोहननगर से तथा दिनांक 07.01.21 को साईट 2 हर्षा कम्पाउण्ड सा0बाद से एल0ई0डी0 टीवी व बैटरी चोरी की थी जिन्हे आज हम बैचने जा रहे थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. विजय पुत्र बेनीराम नि0 कादर चौ शिवय नगर थाना कादर चौक जनपद बदायूँ।
2. विशाल पुत्र राजेश नि0 गांव बागू थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत हाल नि0 मोनू ब्लाक ए राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
3. नोनू उर्फ चीनी पुत्र संजय नि0 ब्लाक ए राजीव कोलोनी मोहननगर मस्जिद के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0 52/21 धारा 380,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम विजय आदि 03 नफर।
- 2- मु0अ0सं0 57/21 धारा 380,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम विजय आदि 03 नफर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक बैटरी ल्यूमिनस सम्बन्धित मु0अ0सं0 57/21 धारा 380,411 भादवि,
2. एक एल0ई0डी0 टीवी सम्बन्धित मु0अ0सं0 52/21 धारा 380,411 भादवि,



**थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अवैध शराब अभियान के तहत 01 अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे रेस मार्का 96 पच्चे देशी शराब बरामद**

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितिय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम की टीम द्वारा आदित्य मॉल के पार्किंग गेट नं0-2 चौकी शिप्रासन क्षेत्र में हरियाणा मार्का (रेस मार्का) 96 पच्चे अवैध शराब के साथ अभियुक्त रिषीपाल सिंह पुत्र विधी सिंह नि0 कुआंखेड़ा खालसा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:

अभियुक्त रिषीपाल सिंह ने पूछताछ पर बताया कि मैं हरियाणा से कम दामों पर शराब खरीद कर यहाँ ऊँचे दामों पर शराब की बिक्री करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

रिषीपाल सिंह पुत्र विधी सिंह नि0 कुआंखेड़ा खालसा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-0045/2021 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना इंदिरापुरम गा0बाद।



### **थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा चोरी की 01 मोटर साईकिल व मोबाईल बरामद**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा श्री पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. गोविन्द पुत्र गणेश निवासी निशान्त कालोनी गढी जस्सी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 2. मन्नू पुत्र मूलचन्द नि0 निशान्त कालोनी गढी जस्सी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गैस एजेन्सी तिराहा के पास से दिनांक 13.1.2021 को मय चोरी की मोटर साईकिल पेंशन प्रो0 रजि0 न0 DL-5SAY-4882 सहित डीएलएफ पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया गया ।

#### **अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY)-**

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब हम दिल्ली, एनसीआर व थाना लोनी क्षेत्र से मो0सा0 व मोबाईल चोरी कर सस्ते दामों में बेच देता हूँ । जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभि0-**

1. गोविन्द पुत्र गणेश निवासी निशान्त कालोनी गढी जस्सी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. मन्नू पुत्र मूलचन्द नि0 निशान्त कालोनी गढी जस्सी लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

#### **अभि0 के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-**

#### **बरामदगी का विवरण:-**

1. एक अदद मो0सा0 पेंशन प्रो0 रजि0 न0 DL-5SAY-4882 बरामद ।



### **थाना कविनगर पुलिस द्वारा धोखाधडी के अपराध मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधडी के वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन 420 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 13.01.21 को थाना कविनगर के अ0सं0 290/20 धारा 420/406/467/468/471 भादवि मे वांछित चल रहे अभियुक्त संजय आनन्द पुत्र स्व0 जगदीश चन्द्र आनन्द निवासी आर 10 बी/12 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया ।

#### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त द्वारा फर्जी चैक लगाकर श्री आबिद जैनुअल परवेज के खाते से जाल साजी व धोखाधड़ी कर 29 लाख रुपये निकालकर फरार हो गया था, जिसकी थाना कविनगर पुलिस को दिनांक 07.02.20 से तलाश थी।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

संजय आनन्द पुत्र स्व० जगदीश चन्द्र आनन्द निवासी आर 10 बी/12 राजनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 54 वर्ष शिक्षा स्नातक।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

- 1- मु०अ०सं० 290/20 धारा 420/406/467/468/471 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।  
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



### **थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 550 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.01.2021 को समय करीब 08.45 बजे, प्रताप नगर पाइप लाइन बन्द फाटक के पास से चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त दीवान पुत्र देवीसहाय नि० राम विहार बन्द फाटक थाना लोनी बोर्डर गा०बाद मूल नि० ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गा०बाद को मय 550 ग्राम गांजा नाजायज के गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 25/21 धारा 8/20 NDPS.ACT पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

दीवान पुत्र देवीसहाय नि० राम विहार बन्द फाटक थाना लोनी बोर्डर गा०बाद मूल नि० ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गा०बाद

### **अभियुक्त दीवान का आपराधिक इतिहास:-**

मु०अ०सं० 25/21 धारा 8/20 NDPS.ACT थाना लोनी बोर्डर गा०बाद।

मु०अ०सं० 739/20 धारा 8/20 NDPS ACT थाना लोनी बोर्डर गा०बाद

### **अभि० दीवान उपरोक्त से बरामदगी का विवरण-**

550 ग्राम गांजा नाजायज बरामद।



### **धोखाधड़ी करने वालो के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु०अ०सं० 27/21 धारा 420/406/467/468/471/34/120 बी भादवि के वाछिंत अभि० नितिन शर्मा पुत्र रवीश शर्मा नि० UGF-21 रायल गार्डन अवन्तिका थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मूल पता म०न०० 1 ब्लाक डी भगत सिंह कालोनी बल्लभगढ़ थाना सिटी

बल्लभगढ़ हरियाणा को मुखबिर की सूचना पर मोरटी तिराहे से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि० 13/01/2021 को को समय 10.45 बजे गिरफ्तार किया।

#### **पूछताछ का विवरण -**

दिनांक 08/01/2021 को वादी श्री जैनुल अबदीन नि० 281 गुलधर-1 मेरठ रोड इन्डस्ट्रियल एरिया सिहानीगेट गा०बाद द्वारा मा० न्या० के आदेश धारा 156(3) CRPC के अनुपालन में दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 27/21 धारा 420/406/467/468/471/34/120 बी भादवि बनाम नितिन कुमार आदी 05 नफर थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभि०गण द्वारा एक राय होकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर वादी से 250000 रु० व 01 फोन प्राप्त कर लेना तथा 3480000 रु० के मैनुफैक्चरिंग माल को ठगने का प्रयास करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी जिसका घटनास्थल गुलधर-1 मेरठ रोड इन्डस्ट्रियल एरिया है

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

नितिन शर्मा पुत्र रवीश शर्मा नि० UGF-21 रायल गार्डन अवन्तिका थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद मूल पता म०न० 1 ब्लाक डी भगत सिंह कालोनी बल्लभगढ़ थाना सिटी बल्लभगढ़ हरियाणा

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु०अ०सं० 27/21 धारा 420/406/467/468/471/34/120बी भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद



### **थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई चोरी की घटना में अभियुक्त को मय माल के गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र में दि० 28.12.20 को वादिनी स्वाति पुत्री राजेश्वर नि० सोनिया नगर म०न० ए 85 गली न० 2 थाना लोनी बोर्डर गा०बाद के मकान में घुसकर ज्वैलरी व नकद रूपये चारी किये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 04/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है। थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 13.01.21 को मुखबिर खास की सूचना पर चैकिंग के दौरान लोनी डिपो पर समय करीब 08.00 बजे अभि० सचिन पुत्र नागेश उर्फ नागेन्द्र नि० बडनौली थाना हापुड देहात जनपद हापुड को मय मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के सामान व 5000 रु० नकद के गिरफ्तार किया गया है।

#### **अपराध कारित करने का तरीका-**

अभियुक्त द्वारा रात्रि के समय वादिनी के घर में घुसकर ताला तोडकर चोरी कर लेना।

#### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -**

1- सचिन पुत्र नागेश उर्फ नागेन्द्र नि० बडनौली थाना हापुड देहात जनपद हापुड

#### **अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 04/21 धारा 457/380 भादवि थाना लोनी बोर्डर
2. मु०अ०सं० 147/21 धारा 323/324 भादवि थाना लोनी बोर्डर
3. मु०अ०सं० 149/21 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना लोनी बोर्डर

#### **बरामदगी का विवरण-**

- 1- 01 कढा पीली धातु, कानो की बाली पीली धातु, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, 01 चोडी बिछवा सफेद धातु
- 2- 5000 रु0 नगद



**थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा आबकारी टीम की मदद से शराब तस्क़र करने वाले एक अभियुक्त को 60 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 12.01.20 को समय करीब 17.20 बजे 30 फुटा रोड अमित विहार पर चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति अनिल कुमार पुत्र धर्मवीर नि0 अमित विहार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को मय 60 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाकर यहाँ चलते-फिरते राहगीरों को बेच देता हूँ ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

अनिल कुमार पुत्र धर्मवीर नि0 अमित विहार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1.मु0अ0स0 22/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बोर्डर

#### **अभियुक्त धर्मेन्द्र से बरामद का विवरण-**

60 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का



**थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा आबकारी टीम की मदद से शराब तस्क़र करने वाले एक अभियुक्त को 40 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आबकारी टीम गा0बाद की मदद से दिनांक 12.01.20 को समय करीब 15.20 बजे बेहटा नहर पटरी पर चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति राजेश भाटी पुत्र कालूराम नि0 विकास कुंज पालविहार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को मय 40 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया ।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाकर यहाँ चलते-फिरते राहगीरों को बेच देता हूँ ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

राजेश भाटी पुत्र कालूराम नि० विकास कुंज पालविहार थाना लोनी बार्डर गा०बाद

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु०अ०स० 21/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर
- 2.मु०अ०स० 27/19 धारा 60/60 आबकारी अधि० थाना लोनी बार्डर
3. मु०अ०स० 87/19 धारा 60/60 आबकारी अधि० थाना लोनी बार्डर
- 4.मु०अ०स० 327/18 धारा 354ख/354च/504 भादवि थाना लोनी बार्डर
- 5.मु०अ०स० 1271/20 धारा 10/3 उ०प्र० गुण्डा गर्दी अधि० थाना लोनी बार्डर

### अभियुक्त धर्मेन्द्र से बरामद का विवरण-

40 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का



### थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत बस अड्डा से गायब हुये 07 वर्षीय बच्चे को पुलिस टीम द्वारा ढूँढकर कर सकुशल परिजनो के सुपुर्द किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा चलाये जा रहे खुशी ऑपरेशन के तहत प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/01/2021 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा 07 वर्ष के बच्चे अर्जुन कुमार को ढूँढकर उनके परिजनो को सुपुर्द किया गया ।

### पूछताछ का विवरण –

दिनांक 12/01/2021 को थाना सिहानीगेट क्षेत्रान्तर्गत चौकी बस अड्डा से अर्जुन कुमार आयु 7 वर्ष नि० रैन बसेरा पुराना बस अड्डा थाना सिहानीगेट बिना बताये कहीं चला गया था जो वापस लौटकर नहीं आया अपने घर का रास्ता भूल गया था । जिसके सम्बन्ध मे परिजनो द्वारा दिनांक 12/01/2021 को थाना हाजा पर मु०अ०स० 57/21 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया था प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट महोदय द्वारा पुलिस टीम गठित कर बच्चे की तलाश में लगाया गया । टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सूचना मिलते ही अभियोग पंजीकृत होने के 24 घन्टे के अन्दर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया।

### बरामदगी का विवरण:-

अर्जुन कुमार आयु 7 वर्ष पुत्र सुशील कुमार नि० रैन बसेरा पुराना बस अड्डा थाना सिहानीगेट गा०बाद

